न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/75/रा.भू.अधि./17/2012/जैसलमेर

अपीलांट

1. नाथूराम पुत्र गुलाराम के का. मु.:–
   1/1श्रीमती खातूदेवी पत्नी नाथूराम
   1/2मदनलाल पुत्र श्री नाथूराम
   1/3राधेश्याम पुत्र श्री नाथूराम
   1/4ओमप्रकाश पुत्र श्री नाथूराम
   1/5हसराज पुत्र श्री नाथूराम
   1/6हिरादेवी पुत्री श्री नाथूराम
   1/7रूपादेवी पुत्री श्री नाथूराम
   1/8विमला देवी पुत्री श्री नाथूराम
   1/9मूलीदेवी पुत्री श्री नाथूराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम चांधन तहसील व जिला जैसलमेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम1.राजस्थान सरकार श्रीमान जिला कलक्टर जैसलमेर।
2.श्रीमानतहसीलदार, जैसलमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर के राजस्व अपील संख्या 05/2011 बअनवान भैरूलाल सैन बनाम नाथूराम में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2011 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री एम.आर.बारूपाल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 21.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की भूमि सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र जो कि पोकरण फील्ड फायरिंग रनेज के चांदमारी क्षेत्र घोषित कर दिया गया जो चांधन के उतर में लाठी गांव के उतर पूर्व में 100 गुणा 80 किमी. का प्रशिक्षण केन्द्र स्थित है। उस क्षेत्र में अपीलांट की भूमि चली जाने से वह भूमिहीन किसान हो गया। अपीलांट भूमिहीन होने के बाद उसने अपने परिवार के भरण पोषण हेतु नहरी क्षेत्र में आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर से बदले में दूसरी भूमि कृषि हेतु आवंटित करने के लिए आवेदन किया तथा साथ ही उपखंण्ड अधिकारी जैसलमेर से भी आवेदन किया। दिनांक 21.11.1970 को आवंटित भूमि आवंटन समिति द्वारा हल्का पटवारी द्वारा समुचित जांच के पश्चात ही आवंटित की गई थी। आवंटन के समय अपीलांट एक दैनिक भुगतान पर दी जाने वाली राशि पर मजदूर था और वह अस्थाई रूप से कार्य करता था। अपीलांट को 75 बीघा बारानी भूमि खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

40 पटवार हल्का चांधन में पड़त सरकार आवंटित की गई। उक्त आवंटन आदेश के अनुसरण में आज दिनांक तक अपीलांट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में भूमि पर कब्जा काश्त बताया जा करके इन्द्राज किया जाता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कृषि भूमि आवंटन समिति द्वारा आवंटित भूमि को अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। उस भूमि को केवल कमिश्नर ही निरस्त कर सकता है। अपीलाधीन निर्णय अपीलांट के विरूद्ध पक्षपात पूर्ण, आपसी रंजिस और शत्रुता के आधार पर किया गया है। अपीलांट के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक 3/1/20/80/अंकेम/2990 दिनांक 01.07.1980 के द्वारा स्थाई माना गया अर्थात अपीलांट दिनांक 29.08.1968 से दिनांक 01.07.1980 तक अस्थाई चौकीदार माना गया। अतः अपीलांट को कृषि भूमि दिनांक 21.11.1970 को आवंटित की गई जबकि अपीलांट अस्थाई चौकीदार था। इस समय के अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन अवैध नहीं माना जा सकता है। केन्दीय लोक निर्माण विभाग से भूमि आवंटन की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं था क्योंकि अपीलांट की नियुक्ति अस्थाई थी कभी भी चौकीदारी से हटाया जा सकता था। अपीलांट की पैतृक कृषि भूमि सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र में जाने के बाद अपीलांट के पास परिवार के पालन–पोषण के लिए अस्थाई चौकीदार के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं था ऐसे समय में एक काश्तकार को कृषि भूमि आवंटन करना उचित था और उस उचित आवंटन मान्य न्यायालय द्वारा 41 वर्षों की खातेदारी के बाद निरस्त किया जाना अनुचित है जो अन्याय है। अपीलांट ने भूतपूर्व सरपंच श्री भैरूलाल सैन पुत्र श्री बाबूलाल सैन ने अपने कार्यकाल में कई अवैध कार्य किये गये जिसकी सूचना अपीलांट द्वारा उच्च अधिकारियों को देने के कारण भूतपूर्व सरपंच ने अपीलांट को जानबूझकर अपीलांट को परेशान करने और उसे हानि पहुंचाने के उद्देश्य से न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध अपील पेश की गई। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि दिनांक 21.11.1970 को आवंटित भूमि आवंटन समिति द्वारा हल्का पटवारी द्वारा समुचित जांच के पश्चात ही आवंटित की गई थी। आवंटन के समय अपीलांट एक दैनिक भुगतान पर दी जाने वाली राशि पर मजदूर था और वह अस्थाई रूप से कार्य करता था। अपीलांट को 75 बीघा बारानी भूमि खसरा संख्या 40 पटवार हल्का चांधन में पड़त सरकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आवंटित की गई। उक्त आवंटन आदेश के अनुसरण में आज दिनांक तक अपीलांट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में भूमि पर कब्जा काश्त बताया जा करके इन्द्राज किया जाता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कृषि भूमि आवंटन समिति द्वारा आवंटित भूमि को अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। उस भूमि को केवल कमिश्नर ही निरस्त कर सकता है। अपीलाधीन निर्णय अपीलांट के विरूद्ध पक्षपात पूर्ण, आपसी रंजिस और शत्रुता के आधार पर किया गया है। अपीलांट के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्रांक 3/1/20/80/अंकेम/2990 दिनांक 01.07.1980 के द्वारा स्थाई माना गया अर्थात **अपीलांट दिनांक 29.08.1968 से दिनांक 01.07.1980 तक अस्थाई चौकीदार माना गया।** अतः अपीलांट को कृषि भूमि दिनांक 21.11.1970 को आवंटित की गई जबकि अपीलांट अस्थाई चौकीदार था। इस समय के अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन अवैध नहीं माना जा सकता है। केन्दीय लोक निर्माण विभाग से भूमि आवंटन की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं था क्योंकि अपीलांट की नियुक्ति अस्थाई थी कभी भी चौकीदारी से हटाया जा सकता था। अपीलांट की पैतृक कृषि भूमि सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र में जाने के बाद अपीलांट के पास परिवार के पालन–पोषण के लिए अस्थाई चौकीदार के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं था ऐसे समय में एक काश्तकार को कृषि भूमि आवंटन करना उचित था और उस उचित आवंटन मान्य न्यायालय द्वारा **41 वर्षों की खातेदारी के बाद निरस्त किया जाना अनुचित है** जो अन्याय है। अपीलांट ने भूतपूर्व सरपंच श्री भैरूलाल सैन पुत्र श्री बाबूलाल सैन ने अपने कार्यकाल में कई अवैध कार्य किये गये जिसकी सूचना अपीलांट द्वारा उच्च अधिकारियों को देने के कारण भूतपूर्व सरपंच ने अपीलांट को जानबूझकर अपीलांट को परेशान करने और उसे हानि पहुंचाने के उद्देश्य से न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध अपील पेश की गई। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायियक दृष्टांत पेश किये:–

RLW 2003(1)RJ Page 265
RLW 2006(2) RJ Page 1059
RLW 2007(2) RJ Page 1255
RLW 2008(1) RJ Page 641

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि आवंटी वक्त आंवटन सरकारी सेवा में था। इस तथ्य का उल्लेख उसने अपने आवेदन पत्र में नहीं किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

राजकीय सेवक होने के नाते तत्समय आवंटी नाथूराम भूमि आंवटन की पात्र नहीं था इसलिए अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साबित करते है कि आवंटी नाथूराम आवंटन की पूर्ण पात्रता रखता था। आवंटन की तिथि को आवेदक नाथूराम (अपीलांट के पति/पिता) आवंटन की पूर्ण पात्रता रखता था। **आवंटन की तिथि को वह स्थाई राजकीय सेवा में नहीं था। आवंटन की तिथि 21.11.1970 है जबकि सी. पी. डब्लू. डी. विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक आवंटी नाथूराम का स्थाईकरण 29.08.1971 को हुआ।** अस्थाई वर्कचार्ज के रूप में कार्य करते वक्त उसे हटाने बाबत नोटिस भी जारी हुए ताकि वह अनवरत राजसेवा को आधार बनाकर स्थाई होने का दावा न कर सके। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले में तकनीकी रूप से पात्रता का सूक्ष्मता से परीक्षण नहीं कर भूल की है। आवंटी की पात्रता और सुदीर्घ अवधि पश्चात आवंटन को निरस्त करने के बिंदु पर गौर किया जाना लाजमी था। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर के राजस्व अपील संख्या 05/2011 बअनवान भैरूलाल सैन बनाम नाथूराम में पारित निर्णय दिनांक 19.10.2011 को अपास्त किया जाकर उसका आवंटन यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

21/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner